न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ (राज0)

दिनांकः– 28.06.2019

प्रकरण संख्याः– 136 / 2019

1. श्री शम्भुलाल पिता नन्दलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी पिपलिया तह0 निम्बाहेड़ा।
2. श्री हेमराज पिता नन्दलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी पिपलिया तह0 निम्बाहेड़ा।

–प्रार्थीगण

//बनाम//

1. मोहनलाल पिता गोकल जाति रावत आयु वयस्क निवासी साजनपुर तह0 निम्बाहेड़ा।
2. मांगीलाल पिता गोकल जाति रावत आयु वयस्क निवासी साजनपुर तह0 निम्बाहेड़ा।
3. लालचन्द पिता गोकल जाति रावत आयु वयस्क निवासी साजनपुर तह0 निम्बाहेड़ा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सगवाड़िया प0ह0 बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 97 की आराजी न0 6 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी न0 7 रकबा 1.2500 हेक्टेयर, कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ौसी है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं हाने की स्थिति में , किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि वाके मौजा सगवाड़िया प0ह0 बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 97 की आराजी न0 6 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी न0 7 रकबा 1.2500 हेक्टेयर, कुल कीता 2 कुल रकबा 1.2600 हैक्टेयर, भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करे।

आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 17:25:56 IST
Reason: SelfAttested